FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

Crim-I

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या – 42/2018
किस्म मुकदमा – प्रतिकर निर्धारण

उनवान

1.	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा	बनाम	1.	श्री नाना, रतन पुत्र उदा, नन्दू, काली पुत्री उदा, श्रीमती मांगी पत्नि उदा 1/6, श्री कालू पुत्र मगना 1/3, श्री नारायण पुत्र भगवाना, रतनी पुत्री भगवाना, श्रीमती सुन्दर पत्नि भगवाना अहीर1/2 निवासी तख्तपुरा, तहसील हमीरगढ़
	––प्रार्थी			––विपक्षीगण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः:लेन निर्माण/चौडाकरण हेतु अवार्ड अन्तर्गत धारा 3G राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 एवं Section 24 of RFCTLARR Act, 2013 to Acquisition Under NH Act, 1956 के अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/05/19	:: **संशोधित आदेश** :: राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः लेन निर्माण/ चौड़ाकरण के लिए अतिरिक्त भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा **3 A (1)** के अन्तर्गत अधिसूचना **दिनांक 21/08/2017** को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रो में **दिनांक 02/09/2017** को किया गया। इसके उपरान्त विहित अधिनियम की धारा **3 D (1)** के अन्तर्गत अधिसूचना **दिनांक 01/03/2018** से राजस्व ग्राम **तख्तपुरा** तहसील **हमीरगढ़** की अवाप्ताधीन **आराजी नं0 467, किस्म बंजड़, रकबा 0.08 बीघा में से 0.0280 हेक्टयर** भूमि का सक्षम न्यायालय द्वारा अवार्ड दिनांक 09/07/2018 से प्रतिकर राशि **18,08,311**– रूपये का निर्धारित किया गया था, जिसका भुगतान किया जाना शेष हैं। तहसीलदार हमीरगढ़ ने अपने पत्र कमांक 334 दिनांक 25/02/2019 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भू–अभिलेख निरीक्षक हमीरगढ़ एनएच के प्रतिनिधी एवं हितबद्धधारियों की उपस्थित में मौका निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ है कि आराजी नं0 467 में निर्माण संरचना नही होकर उक्त निर्माण संरचना आराजी नं0 468 में स्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन अनुसार ग्राम तख्तपुरा की उक्त अवाप्ताधीन आराजी नं0 467 में जारी अवार्ड राशि 18,08,311– रूपये में निर्माण संरचना की राशि 4,91,289– रूपये तथा उस पर सत्प्रतिशत सोलिशियम राशि 4,91,289– रूपये कुल 9,82,578– रूपये सम्मिलित हैं। तहसीलदार हमीरगढ़ की रिपोर्ट अनुसार निर्माण संरचना अवाप्ताधीन आराजी नं0 467 में नही होकर आराजी नं0 468 में स्थित हैं तथा आराजी नं0 468 अधिसूचित नही हैं। अतः उक्त प्रकरण में जारी पूर्व में किये गये प्रतिकर निर्धारण में संशोधन किया जाना विधि सम्मत हैं।	

...ट्रेट (प्रशासन)
(भूमि अवाप्ति),
...ड़ा

उक्तथ्यों के अवलोकन अनुसार प्रकरण में विहित अधिनियम की धारा **3 G (1) (7)** में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए संशोधित प्रतिकर निम्नानुसार निर्धारण किया जाता हैं तथा हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं –

क्र0सं0	विवरण	विवरण/प्रतिकर राशि
1	आराजी नं0 (ग्राम तख्तपुरा, तहसील हमीरगढ़)	467
2	अवाप्ताधीन रकबा	0.0280 हेक्टयर अर्थात 280 वर्ग मीटर
3	किस्म भूमि	बंजड़
4	हितबद्ध खातेदार	श्री नाना, रतन पुत्र उदा, नन्दू, काली पुत्री उदा, श्रीमती मांगी पत्नि उदा 1/6, श्री कालू पुत्र मगना 1/3, श्री नारायण पुत्र भगवाना, रतनी पुत्री भगवाना, श्रीमती सुन्दर पत्नि भगवाना अहीर 1/2 निवासी तख्तपुरा, तहसील हमीरगढ़
5	दिनांक 21.08.2017 को **DLC** दर (प्रति बीघा)	24,01,600– रूपये
6	दिनांक 21.08.2017 को **DLC** दर (प्रति वर्गमीटर)	949.51– रूपये
7	**PWD** के अनुसार ग्राम **तख्तपुरा** की शहरी सीमा से स्थित दूरी	13.750 कि.मी.
8	कृषि भूमि की प्रतिकर राशि (क्षेत्र **X** दर)	2,65,862– रूपये
9	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फेक्टर दूरी **10–20** किमी पर देय कारक **1.50** गुणा की दर से राशि	3,98,793– रूपये
10	अधिकृत मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा तैयार मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार स्थायी संरचना का मूल्य	**Nil**
11	योग **(9+10)**	3,98,793– रूपये
12	सोलिशियम (तोषण) राशि (100 प्रतिशत) कॉलम नं0 11 अंकित राशि का	3,98,793– रूपये
13	दिनांक 02.09.2017 से 09.07.2018 तक कुल 310 दिवस का ब्याज (12 प्रतिशत से)	27,096– रूपये
14	कुल मुआवजा राशि कॉलम नं0 **(11+12+13)**	8,24,682– रूपये
15	कुल प्रतिकर राशि पर 10 प्रतिशत की दर से आयकर **(TDS)** कटौती	**Nil**
16	हितबद्ध खातेदार को भुगतान की जाने वाली राशि	8,24,682– रूपये

अक्षरे – आठ लाख चौबीस हजार छः सौ बियासी रूपये मात्र

अवाप्त भूमि का संशोधित अवाड़ जारी किया जावें। प्रार्थी परियोजना निदेशक प्रतिकर राशि का समायोजन कराना सुनिश्चित करेगें। अवाड़ की प्रति प्रार्थी परियोजना निदेशक, तहसीलदार एवं हितबद्व व्यक्ति/खातेदार को प्रेषित की जावें। तहसीलदार हितबद्व व्यक्ति/खातेदार से सम्पर्क कर प्रतिकर भुगतान पत्रादि प्रस्तुत करावे। अवाप्तशुदा भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष मे राजस्व अधिकार अभिलेख मे अंकन किया जावे तथा भूमि का कब्जा परियोजना निदेशक को सुपुर्द किया जावें।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा

अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति),
भीलवाड़ा